हिमाचल प्रदेश सरकार
कार्मिक विभाग(नियुक्ति–II)

संख्या पर(एपी–बी)ए(3)–7/2012 तारीख शिमला–2, 14 अक्तूबर, 2013

अधिसूचना

हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 318 के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में निजी सचिव, वर्ग–। (राजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध "क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम, बनातीं हैं, अर्थात्:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ। 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, निजी सचिव, वर्ग–। (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2013 है।

(2) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

निरसन और व्यावृत्तियाँ। 2. (I) इस विभाग की अधिसूचना संख्या पर (एपी–II) बी(2)14/75 दिनांक 24–08–2000 द्वारा अधिसूचित और राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में तारीख 07.10.2000 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, निजी सचिव, वर्ग–II (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2000 का एतद् द्वारा निरसन किया जाता है।

(II) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप–नियम (I) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,

सुदृप्त राय
मुख्य सचिव
हिमाचल प्रदेश सरकार

जारी ..2..

पृ0 संख्या पर(एपी–बी)ए(3)–7/2012 तारीख शिमला–2, 14 अक्तूबर, 2013

1. सचिव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला–171002

2 प्रधान महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश शिमला.171003

3 वरिष्ठ विधि अधिकारी (राजभाषा) विधि विभाग, हिमाचल प्रदेश सचिवालय शिमला–2.

4 रक्षक नस्ति/50 अतिरिक्त प्रतियॉं।

(प्रेम सिंह ठाकुर)
अवर सचिव(कार्मिक)
हिमाचल प्रदेश सरकार।
दूरभाष–0177–2624183

*****

उपाबन्ध–"क"

हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यालय में निजी सचिव, वर्ग–। (राजपत्रित) के पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1.	पद का नामः	निजी सचिव
2.	पद की संख्याः	1 (एक)
3.	वर्गीकरणः	वर्ग–। (राजपत्रित)
4.	वेतनमानः	15600–39100 रूपए जमा 5400/– रूपए ग्रेड पे
5.	'चयन' पद अथवा "अचयन" पद	अचयन।
6.	सीधी भर्ती के लिए आयुः	लागू नहीं।
7.	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएंः	(क) अनिवार्य अर्हताएंः लागू नहीं। (ख) वाँछनीय अर्हताएंः लागू नहीं।
8	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्ति (व्यक्तियों)की दशा में लागू होंगी या नहींः	आयुः लागू नहीं। शैक्षिक अर्हताः लागू नहीं।
9	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई होः	दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा, जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दे।
10	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशततताः	शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, ऐसा न होने पर सैकेण्डमैंट आधार पर।
11	प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानातंरण की दशा में वे श्रेणियाँ, जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानांतरण किया जाएगा**:**	निजी सहायकों में से प्रोन्नति द्वारा जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर हिमाचल प्रदेश सचिवालय/हिमाचल प्रदेश सरकार के अन्य विभागों में इस पद के समरूप वेतनमान में कार्यरत पदधारियों में से सैकेण्डमैंट आधार पर। (1) प्रोन्नति के सभी मामलों में, पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थीः

जारी ..2..

परन्तु यह कि उन सभी मामलों में, जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा/नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपयुर्क्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने–अपने प्रवर्ग/पद/काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे:

परन्तु उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी**:**

परन्तु यह और भी कि, जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने से सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा।

स्पष्टीकरणः—

अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा/समझे जाएंगे। यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है, जिसे डिमोबिलाइज्ड आर्मड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज़ इन हिमाचल स्टेट नॉन–टैक्नीकल सर्विसीज़) रूल्ज़, 1972 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो तथा इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स–सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज़ इन दी हिमाचल प्रदेश नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज़, 1985 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत, भर्ती किया गया हो तथा इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति/प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी:

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा, उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

जारी ..3..

12	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो, तो उसकी संरंचना:	विभागीय प्रोन्नति समिति की अध्यक्षता, अध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या उसके द्वारा नामर्दिष्ट आयोग के किसी सदस्य द्वारा की जाएगी।
13	भर्ती करने में, जिन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश, लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगाः	जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित है।
14	सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षाः	लागू नहीं।
15	सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयनः	लागू नहीं।
16	आरक्षणः	उक्त सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय–समय पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए सेवाओं में आरक्षण की बाबत जारी किए गए आदेशों के अधीन होगी।
17	विभागीय परीक्षाः	सेवा में प्रत्येक सदस्य को, समय–समय पर यथा संशोधित, हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 में यथा विहित विभागीय परीक्षा पास करनी होगी।
18	शिथिल करने की शक्ति :	जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्ध(धों) को किसी वर्ग या व्यक्तियों के प्रवर्ग या पद(दों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी।

*****

(Authoritative English Text of this department Notification No. Per(AP-B)A(3)7/2012 dated 14-10-2013 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India).

Government of Himachal Pradesh
Department of Personnel (AP-II)

No. Per(AP-B)A(3)7/2012 Dated Shimla-171002, 14th October, 2013

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 read with Article 318 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh in consultation with Himachal Pradesh Public Service Commission is pleased to make the Recrutiment and Promotion Rules for the post of Private Secretary Class-I (Gezetted) in the Himachal Pradesh Public Service Commission as per Annexure "A" attached to this Notification; namely:-

Short title and commencement.	**1.**	**(1)**	**These rules may be called the Himachal Pradesh Public Service Commission, Private Secretary, Class-I (Gezetted) Recruitment and Promotion Rules, 2013.**
		(2)	**These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra, Himachal Pradesh.**
Repeal and savings.	**2.**	**(1)**	**The Himachal Pradesh Public Service Commission, Class-II, (Gezetted) Recruitment and Promotion Rules, 2000 notified vide this department notification No. Per(AP-II)B(2)14/75, dated 24-08-2000 and published in the Rajpatra, Himachal Pradesh dated 07-10-2000 are hereby repealed.**
		(2)	**Notwithstanding such repeal, any appointment made or anything done or any action taken under the rules so repealed under sub-rule(1) supra shall be deemed to have been validly made or done or taken under these rules.**

By Order

Sudripta Roy
Chief Secretary to the
Government of Himachal Pradesh

..2..

No. Per(AP-B)A(3)7/2012 Dated Shimla-171002, the 14th October, 2013
Copy forwarded to:

1. **The Secretary, Himachal Pradesh, Public Serviece Commision, Himachal Pradesh, Shimla-2.**
2. **Pr. Accountant General, H.P. Shimla- 171003.**
3. **The Senior Law Officer (Opinion), Law Department, H.P. Secretariat, Shimla-171002.**
4. **Guard File/ 50 spare copies.**

(Prem Singh Thakur)
Under Secretary (Personnel) to the
Government of Himachal Pradesh
Tel. No. 0177-2624183

*****

"ANNEXURE-A"

RECRUITMENT AND PROMOTION RULES FOR THE POST OF PRIVATE SECRETARY (CLASS-I) (GAZETTED) IN THE OFFICE OF H.P. PUBLIC SERVICE COMMISSION, SHIMLA-171002.

1.	Name of the post	Private Secretary
2.	Number of post(s)	1 (one)
3.	Classification	Class-I (Gazetted)
4.	Scale of Pay	Pay band ₹ 15600-39100 + ₹ 5400 Grade Pay
5.	Whether "Selection" post or "Non-Selection" post	Non-Selection
6.	Age for direct recruitment	Not applicable
7.	Minimum educational and other qualifications required for direct recruitments	(a) Essential Qualifications: Not applicable (b) Desirable Qualification(s): Not applicable
8	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of the promotees	Age: Not applicable Educational Qualification: Not applicable
9	Period of probation, if any	Two years' subject to such further extension for a period not exceeding one year as may be ordered by the competent authority in special circumstances and reasons to be recorded in writing.
10	Method(s) of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion, deputation, transfer and the percentage of posts to be filled in by various methods:	100% by promotion failing which on secondment basis.
11	In case of recruitment by promotion, deputation, transfer, grade from which promotion / deputation / transfer is to be made:	By promotion from amongst the Personal Assistants who possess five years' regular service or regular combined with continuous adhoc service, if any, in the grade, failing which on secondment basis from amongst the incumbents of this post working in the identical pay scale from the H.P. Secretariat/other Himachal Pradesh Government Departments. (1) In all cases of promotion, the continuous adhoc service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these rules for promotion subject to the condition that the adhoc appointment/promotion in the feeder

Contd ..2..

category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules:

Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (including the service rendered on adhoc basis, followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above, all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of at least three years' or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the preceding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation:- The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex. Servicemen recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces, Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Service) Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority there-under or recruited under the provisions of Rule-3 of the Ex-Serviceman (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefits of seniority there-under.

(2) Similarly, in all cases of confirmation, adhoc service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion against such post shall be taken into account towards the length of service, if the adhoc appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&P Rules:

Provided that inter-se-seniority as a result of confirmation after taking into account, adhoc service rendered as referred to above shall remain unchanged.

12	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition?	D.P.C. to be presided over by the Chairman, Himachal Pradesh Public Service Commission or a Member thereof to be nominated by him.

Contd ..3..

13	**Circumstances under which the H.P.P.S.C. is to be consulted in making recruitment**	**As required under the Law.**
14	**Essential requirement for a direct recruitment**	**Not applicable**
15	**Selection for appointment to the post by direct recruitment**	**Not applicable**
16	**Reservation**	**The appointment to the service shall be subject to orders regarding reservation in the service for Scheduled Castes/Scheduled Tribes / Other Backward Classes / other categories of persons issued by the Himachal Pradesh Government from time to time.**
17	**Departmental Examination**	**Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the H.P. Departmental Examination Rules, 1997, as amended from time to time.**
18	**Powers to relax**	**Where the State Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, relax any of the provision(s) of these rules with respect to any Class or Category of persons or post(s).**

*****